रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2109] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2010/आश्विन 16, 1932

No. 2109] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2010/ASVINA 16, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2469(अ).—जबकि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में आगे संशोधन हेतु, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 4 की अपेक्षानुसार, प्रस्ताव का प्रारुप उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराने की तिथि से तीन महीने की अवधि तक उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 7 जून, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 7 जून, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1332(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 7 जून, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उपरोक्त अधिसूचना के प्रारुप के संबंध में तीन महीने की उक्त अवधि के दौरान आम जनता से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अत: अब, केन्द्र सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में आगे संशोधन हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है एवं निदेश देती है कि ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे, अर्थात् :—

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में,

भाग क में, "व्यवसायों" शीर्षक के अन्तर्गत मद (16) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(17) सर्कस;

(18) हाथियों की देख-रेख ।"

[फा. सं. ए-42011/5/2009-सीएल]

अनूप चन्द्र पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—इस अनुसूची को प्रथम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 61, दिनांक 23 दिसम्बर, 1986 द्वारा संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या का.आ. 404(अ), दिनांक 5 जून, 1989, का.आ. 263(अ), दिनांक 29 मार्च, 1994, का.आ. 36(अ), दिनांक 27 जनवरी, 1999, का.आ. 397(अ), दिनांक 10 मई, 2001, का.आ. 1742(अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2006 और का.आ. 2280(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2008 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

S.O. 2469(E).— Whereas the draft of the proposal further to amend the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) was

published, as required by Section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 7th June, 2010 *vide* the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 1332(E), dated the 7th June, 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of three months from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas the copies of the said Gazette were made available to the general public on the 7th June, 2010;

And, whereas, no objections and suggestions on the said draft notification were received from the general public within the said period of three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), the Central Government on the recommendations of the Child Labour Technical Advisory Committee, hereby makes the following amendments further to amend the Schedule to the said Act and directs that they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, namely :—

In the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986),

in Part A, under the heading "Occupations", after item number (16) and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"(17) Circus;

(18) Caring of Elephants".

[F. No. A-42011/5/2009-CL]

ANUP CHANDRA PANDEY, Jt. Secy.

Note:—The Schedule was first amended *vide* notification number S.O. 61, dated the 23rd December, 1986 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 404(E), dated the 5th June, 1989, S.O. 263(E), dated the 29th March, 1994, S.O. 36(E), dated the 27th January, 1999, S.O. 397(E), dated the 10th May, 2001, S.O. 1742(E), dated the 10th October, 2006 and S.O. 2280(E), dated the 25th September, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.